

न्यायालय – प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, बैतूल, जिला-बैतूल
(म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी –जयदीप सिंह)

व्य. वाद प्र. क्रं. 500005 ए/2016

संस्थापन दिनांक :- 18.03.2016

शिवप्रसाद वल्द स्व. गयाप्रसाद तिवारी उम्र 71 वर्ष,

जाति ब्राम्हण निवासी आजाद वार्ड टिकारी बैतूल

तह. जिला बैतूल (म.प्र.)

.....वादी

(वि-रू-द्ध)

1. चंद्रिका प्रसाद उर्फ पप्पू वल्द स्व. गयाप्रसाद
तिवारी उम्र 58 वर्ष.
2. विधा उर्फ माया पति श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी
उम्र 50 वर्ष
3. प्रणय वल्द श्री चंद्रिकाप्रसाद तिवारी
तीनों निवासी तिलक वार्ड उत्तम दीक्षित
वकील साहब के मकान के पास कोठी
बाजार बैतूल
4. कमलाबाई पति श्री केशरनाथ मिश्रा उम्र 75 वर्ष
निवासी मोहन नगर परतवाडा तह.
परतवाडा जिला अमरावती (महाराष्ट्र)
5. राकेश वल्द स्व. बालकिशन शर्मा
निवासी कमानी गेट कोठीबाजार बैतूल
तह. जिला बैतूल
6. म.प्र.शासन,
द्वारा-कलेक्टर बैतूल

प्रतिवादीगण

-: : (आदेश) : :-

(आज दिनांक 12-05-2016 को पारित किया गया)

1- इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सहपठित धारा 151 का निराकरण किया जा रहा है ।

2- वादी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा शीट क्रमांक 1 प्लॉट नंबर 58/3, 58/4 क्षेत्रफल 1255, 1666 कुल क्षेत्रफल 2921 वर्गफुट मौजा तिलकवार्ड के संबंध में उसके पिता गयाप्रसाद की मृत्यु होने के बाद प्रतिवादी क्र. 1 एवम 2 के द्वारा षडयंत्र रचते हुये प्रतिवादी क्र. 3 के पक्ष में वसीयत बनवा ली है, जिसका 1/2 भाग पाने के लिये दावा प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी क्र. 3 के पक्ष में फर्जी वसीयत होने से वादी पर बंधनकारी नहीं है। प्रतिवादी क्र. 3 द्वारा 2015 में नजूल अभिलेख में नाम दर्ज करा लिया है और वादी को नामांतरण की कोई सूचना नहीं दी गयी। प्रतिवादी क्र. 3 के द्वारा प्रतिवादी क्र. 5 को विक्रय करने का सौदा कर लिया। अतः इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि विवादित भूमि को प्रतिवादी क्र. 5 को या अन्य किसी को विक्रय न की जावे।

3- प्रतिवादी क्र. 1 से 3 द्वारा आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त संपत्ति गयाप्रसाद वल्द तुलसीराम तिवारी ने शीट नंबर 1 प्लॉट नंबर 58 में से 1666 वर्गफुट रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा नंदकिशोर दुबे एवं रूपादेवी से 07,000/-रूपये में खरीदी थी तथा शीट नंबर 1 नजूल प्लॉट नंबर 58 की 1255 वर्गफुट भूमि देवीप्रसाद, लक्ष्मीबाई, कृष्णाबाई से 3,300/-रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 02.05.1972 को क्रय की है, इस कारण गयाप्रसाद को उपरोक्त संपत्ति की वसीयत करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त था और 27.04.1989 को प्रतिवादी क्र. 3 के पक्ष में वसीयत कर दी। प्रतिवादी क्र. 3 नाबालिग होने के कारण प्रतिवादी क्र. 2 को वली नियुक्त किया था। गयाप्रसाद की 09.07.1991 को मृत्यु हो जाने से नजूल अधिकारी बैतूल द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 64अ/6 वर्ष 90-91 के अनुसार प्रतिवादी क्र. 3 का नामांतरण कर दिया गया। वादी द्वारा प्रकरण में आपत्ति दर्ज करायी थी और उसे वसीयत की जानकारी थी। वादी द्वारा पारित आदेश के

विरुद्ध कोई अपील या नामांतरण के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की। उक्त नामांतरण पट्टे का 17.10.2004 को 2025 तक नवीनीकरण कर दिया गया। इस पर भी वादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गयी। इस आधार पर प्रतिवादी क्र. 3 स्वत्वाधिकारी होने से उक्त भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि पर नगर पालिका बैतूल में प्रतिवादी क्र. 3 का नाम दर्ज है इस पर भी वादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी। प्रतिवादी क्र. 3 को अपनी बहन के विवाह के लिये रूपयों की आवश्यकता होने के कारण प्रतिवादी क्र. 5 से रुपये उधार लिये हैं। प्रतिवादी क्र. 3 ने उक्त भूमि को बेचने का कोई सौदा नहीं किया है। मृतक गयाप्रसाद को उक्त जमीन की वसीयत करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त था, अतः वादी का आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

4- प्रतिवादी क्र. 5 की ओर से आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत किया है कि वादी का दावा प्रचलन योग्य न होने से निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी को गयाप्रसाद की मृत्यु के पूर्व से वसीयत की जानकारी थी और वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी। वसीयत के आधार पर प्रणय कुमार का नाम नजूल अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है। नामांतरण कार्यवाही को वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गयी। वादी द्वारा असत्य आधारों पर न्यायालयीन प्रक्रिया का विरोध करते हुये पक्षकारों को परेशान करने की दुर्भावना से दावा प्रस्तुत किया है, अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

5- विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या प्रथम दृष्टया प्रकरण वादीगण के पक्ष में है।
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
3. अपूर्णीय क्षति का प्रश्न ?

विचारणीय बिंदु क्रमांक 1 का निराकरण:-

6- वादी की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का तथा अब्दुल हफीज का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी चंद्रिका प्रसाद, सुशील अवस्थी, प्रदीप, विद्या उर्फ माया के शपथ पत्र पेश किये हैं। जिनमें वर्णित तथ्य पारस्परिक खडन करते हैं। अतः कोई अंतरिम प्रकृति का निष्कर्ष

अन्य दस्तावेजी साक्ष्य की सहायता से ही इस स्तर पर निर्धारित किया जाना संभव है।

7- वादी की ओर वसीयतनामा, गयाप्रसाद तिवारी का मृत्यु प्रमाण पत्र, बयाना चिटटी, नजूल नक्शा के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं तथा प्रतिवादी क्र. 1 से 3 की ओर से राजस्व न्यायालय का आदेश, लीज, विक्रय पत्र, नगर पलिका की टैक्स की रसीदे पेश की है। प्रतिवादी की ओर से नकल आवेदन पत्र की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जिसमें यह तथ्य वर्णित है कि न्यायालय नजूल अधिकारी बैतूल द्वारा प्रकरण क्रमांक 64अ/6 वर्ष 1991-92 प्रणव तिवारी वि० शिवप्रसाद आदेश दिनांक 20.04.1992 से संबंधित आदेश पत्रिका आवेदन इशतहार, गवाही, नजूल आर आई का प्रतिवेदन एवम आदेश प्रतिवादी पक्ष द्वारा सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि नकल के रूप में चाहा गया था, किंतु उक्त अभिलेख अभिलेखागार में नष्ट हो चुका है यह टीप आवेदन पत्र में वर्णित की गयी है। ऐसी परिस्थिति में अभिलेख पर मात्र वसीयतनामा दिनांक 17.04.1989 की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध है जिससे यह स्पष्ट है कि गयाप्रसाद द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी समस्त चल अचल संपत्ति रजिस्टर्ड वसीयतनामे के द्वारा प्रतिवादी क्र. 3 प्रणय जो उनका नाती है के पक्ष में 27.04.1989 को निष्पादित किया और मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि गयाप्रसाद की मृत्यु दिनांक 09.06.1991 को हो चुकी है। प्रकरण में प्रस्तुत बयाना चिटटी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्र. 3 प्रणय तिवारी द्वारा राकेश शर्मा के पक्ष में विवादित मकान की बयाना चिटटी निष्पादित की गयी है। प्रकरण में प्रस्तुत नजूल खसरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित मकान प्रणय तिवारी के नाम पर नामांतरित हो चुका है और वह पूर्व में गयाप्रसाद तिवारी के नाम पर दर्ज था। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायालय नजूल अधिकारी के पारित आदेश दिनांक 20.04.92 की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रणय कुमार तिवारी द्वारा गयाप्रसाद की मृत्यु के उपरांत नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया था, तब दिनांक 22.11.1991 को वादी द्वारा उक्त प्रकरण में वसीयतनामे के फर्जी होने की आपत्ति की गयी थी और वादी आपत्तिकर्ता के रूप में दिनांक 23.01.1992 को सूचना उपरांत अनुपस्थित रहा और इस कारण उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रणय कुमार के पक्ष में नामांतरण हुआ इसी तथ्य की पुष्टि प्रणय के पक्ष की नजूल डीड से भी होती है। प्रकरण में प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 12.05.1992 के

अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित संपत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से गयाप्रसाद तिवारी ने विक्रेता देवीप्रसाद दुबे से विवादित संपत्ति क्रय की। नजूल अधिकारी बैतूल के आदेश दिनांक 24.06.2015 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रणय के बालिग होने पर वयस्क के रूप में भी नजूल अभिलेख दुरुस्त किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 3 की ओर से नगर पालिका परिषद की टैक्स की रसीदे प्रस्तुत की गयीं जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित मकान का टैक्स प्रतिवादी क्र. 3 द्वारा नगर पालिका को अदा किया गया।

8- वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में विवादित मकान के संबंध में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी है कि प्रतिवादी क्र. 3 प्रतिवादी क्र. 5 के पक्ष में उसे स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से विक्रय न करे। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि वादी गयाप्रसाद तिवारी का पुत्र है और प्रतिवादी क्र. 1 चंद्रिका प्रसाद तिवारी का सगा भाई है। प्रणय तिवारी चंद्रिका प्रसाद तिवारी का पुत्र है प्रकरण में गयाप्रसाद तिवारी का जो विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है उसके अवलोकन से यही स्पष्ट होता है कि विवादित मकान गयाप्रसाद की स्व अर्जित संपत्ति है। रजिस्टर्ड वसीयतनामे के द्वारा गयाप्रसाद तिवारी ने अपने जीवनकाल में नाती प्रणय कुमार के पक्ष में प्रदान की। गयाप्रसाद तिवारी की मृत्यु उपरांत प्रणय तिवारी के पक्ष में नामांतरण आदेश हो चुका है नामांतरण आदेश में वादी द्वारा आपत्ति की गयी थी उसके उपरांत वादी उक्त प्रकरण में अनुपस्थित हो गया, एकपक्षीय कार्यवाही की गयी और रजिस्टर्ड वसीयतनामे के आधार पर प्रणय कुमार तिवारी के पक्ष में विवादित मकान का नामांतरण हुआ। प्रणय तिवारी द्वारा ही विवादित मकान का टैक्स अदा किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम दृष्टया नामांतरण दिनांक 20.04.1992 को हुआ और उसके उपरांत वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विवादित मकान का टैक्स भी प्रणय तिवारी द्वारा ही अदा किया गया है। 20.04.1992 का उक्त नजूल न्यायालय का प्रकरण दीर्घ अवधि के उपरांत नष्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर नजूल अधिकारी के उक्त आदेश की वैधता के संबंध में कोई अंतरिम निष्कर्ष अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता फिर भी इस तथ्य को दृष्टिगत रख कि विवादित संपत्ति गयाप्रसाद की स्व अर्जित संपत्ति थी, जिसे रजिस्टर्ड वसीयतनामे के द्वारा प्रणय के पक्ष में विवादित मकान नामांतरित हो चुका है विवादित मकान का टैक्स भी प्रतिवादी क्र. 3 द्वारा

अदा किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यही अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।

विचारणीय बिंदु क्रमांक 2 व 3 का निराकरण:-

9- वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में विचारणीय बिंदु क्रमांक- 2 सुविधा का संतुलन एवम क्रमांक-3 अपूर्णीय क्षति के तत्व का महत्व गौण हो जाता है, अतः विचारणीय बिंदु क्र. 2 व 3 के संबंध में यह निष्कर्ष अभिनिर्धारित किया जाता है कि वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं है और अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं करने पर उसे कोई अपूर्णीय क्षति कारित नहीं होगी।

10- उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदन पत्र के संबंध में यह अंतरिम निष्कर्ष अभिनिर्धारित किया जाता है कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तथ्य प्रथम दृष्टया अस्तित्व में नहीं है, अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यप्रसं निरस्त किया जाता है।

11- इस आवेदन पत्र के निराकरण के दौरान जो निष्कर्ष अभिनिर्धारित किये हैं, उनका प्रभाव आवेदन पत्र के निराकरण तक सीमित रहेगा तथा प्रकरण के गुण-दोषों के आधार पर निर्णय के समय अंतिम निष्कर्ष अभिनिर्धारित किया जाना संभव होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,

दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टंकित किया ।

(जयदीप सिंह)

प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग-1

बैतूल (म.प्र.)

(जयदीप सिंह)

प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग-1

बैतूल (म.प्र.)